न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—72 / 2021 (2021 / 190) वाद पत्र

उनवान

1—रामचन्द्र पुत्र हीरा लाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—उदी पत्नि सांवरमल पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी गोविन्दपुरा तहसील माण्डल
3—कमला पत्नि लालाराम पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर
4—लीला पत्नि गोपाल कुमावत पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
5—हरलाल पुत्र देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मांगुलाल पुत्र देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—पन्नालाल पुत्र देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—बाबु पुत्र देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—सचिव / सरंपच महोदय, ग्राम विकास पंचायत बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. दीपक शर्मा, सुनिल बापना — वादीगण अधिवक्ता
2. हरिश टेलर — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा वादी संख्या 1 लगायत 4 के दादा व वादी संख्या 5 लगायत 8 पिताजी देवा पिता किशना कुमावत के नाम खाता संख्या 92 में साबिक आराजी संख्या 270 / 1(क) रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 368 / 1 रकबा 03 बिस्वा, 368 / 3 रकबा 10 बिस्वा, 266 / 2 रकबा 2 बीघा, 269 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 273 / 3 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, 286 / 1ख रकबा 11 बिस्वा, 372 / 2 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा भूमि खातेदारी अधिकारों से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिसकी साबिक जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 की नकल वादपत्र के साथ हमराह प्रस्तुत है। दोराने बन्दोबस्त नवीन नम्बर कायम हुए जो इस प्रकार है। आराजी संख्या 628 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 629 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 634 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 638 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 639 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 640 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 641 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 650 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 652 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 653 रकबा 0.60 है0, आराजी संख्या 689 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 690 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 821 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 825 रकबा 0.[illegible] है0, आराजी संख्या 857 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 879 रकबा 0.02 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 2.84 है0 भूमि है। उक्त आराजियात दौराने सेटलमेंट वादी संख्या 1 लगायत 4 के दादा जी व वादी संख्या—5 लगायत 8 के पिताजी देवा पिता किशना कुमावत के नाम दर्ज रही व उनकी मृत्यु के [illegible] विरासत से वादीगण के नाम खातेदारी अधिकारों में दर्ज हो गई। वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजियात पर साबिक आराजियात के रकबे अनुसार ही काबिज होकर शांतीपूर्वक उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं. वाद वर्णित आराजियात की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2076 की नकल एवं मिलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

खसरे की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ हमराह प्रस्तुत है। दौराने बंदोबस्त सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों ने वाद वर्णित साबिक आराजी नम्बर 372/2 रकबा 03 बिस्वा के नवीन नम्बर 879 रकबा 0.0200 हेक्टेयर भूमि कायम करने में भारी भूल एवं गौर लापरवाही की व दौराने बन्दोबस्त सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा साबिक आराजी नम्बर 372/2 का रकबा पूर्वानुसार दर्ज नहीं कर 03 बिस्वा की जगह 02 बिस्वा गलत तौर दर्ज कर दिये गये एवं साबिक आराजी नम्बर 372/2 के पूर्वी दिशा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 372/4 का रकबा 04 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 878 का रकबा बढाकर 0.05 हेक्टेयर कायम कर दिया, इस प्रकार वादीगण के साबिक आराजी नम्बर 372/2 का रकबा 03 बिस्वा का नवीन नम्बर में 0.0324 हेक्टेयर रकबा दर्ज किया जाना चाहिए, परन्तु राजस्व अधिकारियों की गौर लापरवाही से उक्त वाद वर्णित आराजियात का रकबा कम कर उक्त आराजियात के पूर्वी दिशा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 372/4 के नवीन नम्बर 878 कायम कर रकबा बढ़ा दिया वादपत्र के साथ वाद वर्णित आराजियात का साबिक एवं नवीन नक्शा व मिलान क्षेत्रफल की नकल हमराह वादपत्र प्रस्तुत है। उक्त वादपत्र में आगे नवीन आराजी संख्या 879 को वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की उक्त आराजियात पर आये व राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही कब्जा रखने हेतु कहा व अतिरिक्त हिस्से से बेदखल करने की धमकी दी जिस पर वादीगण को वादपत्र पेश करने की नोबत आयी। वादग्रस्त आराजी संख्या 878 वर्तमान में ग्राम पंचायत बागोलिया के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 राजकीय पक्ष होने से उनके विरूद्ध धारा 80 का नोटिस आवश्यक है किन्तु वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से और वादीगण को प्रतिवादी द्वारा बेदखल कर देने की वजह से आवश्यक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि वाद अनुसार वादीगण के खातेदारी अधिकारो की ग्राम बागोलिया तहसील रायपुर में स्थित हाल आराजी संख्या 879 का रकबा उनके साबिक आराजी संख्या 372/2 रकबा 3 बिस्वा की जगह 2 बिस्वा गलत तौर पर दर्ज कर दिया जिससे नवीन आराजी संख्या 879 का रकबा साबिक आराजी संख्या 372/2 के रकबे को 3 बिस्वा अनुसार बढ़ा इन्द्राज दुरस्ती कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी 879 से वादीगण को उनके हक अधिकारो की भूमि से वछिंत नही करे व वादीगण को उपरोक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल नही करें वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भी पांबद कराया जावे कि वे न्यायालय की अनुमति के बिना राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत ओदश 7 नियम 11 प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 फौरमल पक्षकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में अंकन किया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध वादपत्र पेश किया व उससे आवश्यक पक्षकारान मानकर अनुतोष चाहा गया है किन्तु ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के विरूद्ध किसी प्रकार का वादपत्र पेश करने से पूर्व राजस्थान पचांयती राज अधिनियम 1996 की धारा 109 के तहत दो माह का नोटिस देना प्रावधान है उसके पश्चात् ही वादपत्र पेश किया जाना चाहिये किन्तु

वादीगण ने ऐसा कोई नोटिस प्रतिवादी को नही दिया व सीधे ही यह वादपत्र पेश कर दिया जो विधि के आज्ञापक प्रावधानो की सरासर अनदेखी होने से उक्त वादपत्र विधि के वपिरीत होकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 109 के तहत् विधि द्वारा वर्जित है एवं इसी स्तर पर खारीज होने योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो निवेदन किया कि वादवर्णित आराजियात से सम्बधित न्यायालय हाजा में अन्य प्रकरण भी विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 86 / 2021 होकर दोनो पत्रावलियो में न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर मौका स्थिति अनुसार प्रकरणो का निस्तारण किया जावे जिस पर प्रकरण संख्या 72 / 2021 एवं 86 / 2021 का मौका निरीक्षण किया गया। मौका स्थिति का पर्चा मौका बनाया गया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में वर्णित आराजियात की मौका स्थिति का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बागोलिया कि साबिक आराजी संख्या 372 / 2 के नवीन नम्बर 879 रकबा 0.02 है0 एवं 372 / 4 नवीन नम्बर 878 रकबा 0.05 है0 बनाये जाकर इससे लगती हुई आराजी संख्या 881 दर्ज की गई। मौके पर मौका स्थिति का अवलोकन करने एवं उपस्थित पक्षकारान एवं मौतबिरान से पुछताछ करने पर पाया कि आराजी संख्या 879 रकबा 0.02 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदारी के रूप में दर्ज होकर खातेदार द्वारा पत्थर डाल रखे है राजस्व नक्शे में उक्त आराजी की नक्शे की आकृति 0.04 है0 बनती है इस आराजी में मौके पर एक आम रास्ता भी गांव से दक्षिण की ओर जा रहा है जो इस आराजी की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे निकल रहा है। आराजी संख्या 879 की पूर्वी दिशा की ओर आराजी संख्या 878 एवं 952 है जिस पर मौके पर आराजी संख्या 952 के खातेदारान का कब्जा है। इस आराजी की नक्शा आकृति में भी तफावत है मौके पर उपस्थित मौतबीरान के अनुसार खातेदार काबिज होना जाहिर किया गया। मौके पर उपस्थित मौतबिरान एवं उभयपक्ष के समक्ष विस्तृत चर्चा एवं समझाईश करने पर दोनो पक्ष एवं मौतबिरान द्वारा जाहिर किया कि मौका स्थिति अनुसार राजस्व रेकार्ड में जितना रकबा जिनके खाते मे दर्ज है उतना उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर नक्शा दुरस्त कराया जावे ताकि भविष्य में कोई विवाद नही रहे। मौके पर आराजी संख्या 879 एवं 880 के मध्य जो रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है जिसकी चौड़ाई 15 फीट है जिसमें पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा था उस दौरान माधुलाल पिता बालु कुमावत द्वारा कार्य रूकवा दिया गया था जिसको मौके पर राजस्व रेर्काड की वस्तुस्थिति से अवगत कराने पर जाहिर किया कि अब मुझे उक्त जगह पर सीसी सड़क बनायी जाती है तो कोई आपत्ति नही है ग्राम पंचायत चाहे उस जगह सड़क बनाये। मौके पर विचाराधीन प्रकरण के वादी एंव प्रतिवादी द्वारा आम सहमति व्यक्त की गई कि आज मौके पर राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति अनुसार मौके पर नपती कर आराजी संख्या 879 की पश्चिमी मेड़ के सहारे जो रास्ता 15 फीट का स्थित है एवं आराजी संख्या 879 के दक्षिण की तरफ जो मौके पर रोड़ी पड़ी हुई है वो रकबा खातेदार का नही होकर आबादी आराजी संख्या 878 का भा[illegible] खातेदार को कोई ऐतराज नही रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

मैने पत्रावली का अ[illegible] साबिक एवं हाल रेकार्ड के अनुसार साबिक आराजी संख्या 37[illegible] नक्शे का रेकार्ड पेश किया जो स्पष्ट नही है भू प्रबन्ध विभाग के [illegible] नम्बर में आंवटीयो का आवटिंत खसरा नम्बर में जहां मौके पर कब्जा होता है उसी अनुसार राजस्व नक्शे में आवंटी के नाम तरमीम की जाती है। इस प्रकरण में मौके पर आराजी संख्या 879 के खातेदार के कब्जे को ध्यान में रखते

हुए भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बर दिये गये है जो सही है किन्तु नक्शे की आकृति राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.02 है0 के मुकाबले नक्शा ट्रेस की आकृति 0.04 है0 की बनाई गई है जो रेकार्ड ऑफ राईट्स जमाबन्दी के मुकाबले 0.02 है0 का रकबे का ट्रेस बढा दिया गया है जो बढ़ा हुआ रकबा रास्ते के रूप में एवं आबादी के रूप में काम आ रहा है जो आराजी संख्या 879 का भाग नही होकर आराजी संख्या 878 का भाग है। आराजी संख्या 878 राजस्व रेकार्ड में आबादी होकर रकबा 0.05 है0 दर्शा रखा है किन्तु आराजी संख्या 878 की नक्शा आकृति का रकबा 0.03 है0 ही है जहां पर भी प्रतिवादी का कब्जा नही है। इस आराजी 878 के रकबे के कुछ भाग को आराजी संख्या 879 के नक्शे में दर्शाया गया है तथा कुछ भाग आराजी संख्या 952 व 881 में सम्मिलित कर दिया गया है। जहां मौके पर ग्रामवासीयान के आवागमन का रास्ता जा रहा है एवं पिछे पड़ौसी मकान मालिक द्वारा रोड़ी डाल रखी है एवं मकान बना रखा है उक्त रकबे को आबादी में शुमार करने पर आराजी संख्या 878 का रकबा पूर्ण होता है। आराजी संख्या 879 के बढ़े हुए रकबे पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग को आबादी में शुमार करने पर खातेदार को कोई आपत्ति नही होना मौके पर जाहिर किया है। मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजस्व नक्शे को दुरस्त किये जाने से राजस्व नक्शा एवं मौका स्थिति में एकरूपता रहेगी। इन्ही आराजियात से सम्बधित जो एक प्रकरण 86/2021 भी इन्ही पक्षकारो के मध्य विचाराधीन है जिसमें भी दोनो पक्षो के मध्य आपसी समझाईश से जो निर्णय हुआ है उस निर्णय से भी दोनो पक्ष पांबद रहेंगे। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आपसी राजीनामें के अनुसार पर आंशिक स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आपसी राजीनामें के अनुसार आंशिक स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगणो की खातेदारी आराजी संख्या 879 रकबा 0.02 है0 भूमि पर वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दंखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और आराजी संख्या 879 में रकबा 0.02 है0 के अतिरिक्त जहां मौके पर रास्ता निकल रहा है एवं दक्षिण की तरफ जहां रोड़ी एवं पड़त भूमि है वो भूमि आराजी संख्या 878 का भाग है उसमें वादीगण किसी प्रकार की दंखल न तो स्वयं न अन्य से करायेंगे। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 878 रकबा 0.05 है0 भूमि तरमीम की जावे एवं जंहा आराजी संख्या 878 को तरमीम कर रखा है वो रकबा आराजी संख्या 952 का भाग मानते हुए आराजी संख्या 952 की तरमीम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे की सीमा तक मौका स्थिति अनुसार की जावे। प्रकरण संख्या 86/2021 में हुए निर्णय से भी दोनो पक्ष पांबद रहेंगे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

22/3/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6—7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—72/2021 (2021/190) वाद पत्र

उनवान

1—रामचन्द्र पुत्र हीरा लाल कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—उदी पत्नि सांवरमल पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी गोविन्दपुरा तहसील माण्डल
3—कमला पत्नि लालाराम पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर
4—लीला पत्नि गोपाल कुमावत पुत्री हीरालाल कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर
5—हरलाल पुत्र देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—मांगुलाल पुत्र देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—पन्नालाल पुत्र देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—बाबु पुत्र देवा कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—सचिव/सरंपच महोदय, ग्राम विकास पंचायत बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आपसी राजीनामें के अनुसार आंशिक स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगणो की खातेदारी आराजी संख्या 879 रकबा 0.02 है0 भूमि पर वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दंखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और आराजी संख्या 879 में रकबा 0.02 है0 के अतिरिक्त जहां मौके पर रास्ता निकल रहा है एवं दक्षिण की तरफ जहां रोड़ी एवं पड़त भूमि है वो भूमि आराजी संख्या 878 का भाग है उसमें वादीगण किसी प्रकार की दंखल न तो स्वयं न अन्य से करायेंगे। इसी अनुसार राजस्व नक्शे में आराजी संख्या 878 रकबा 0.05 है0 भूमि तरमीम की जावे एवं जंहा आराजी संख्या 878 को तरमीम कर रखा है वो रकबा आराजी संख्या 952 का भाग मानते हुए आराजी संख्या 952 की तरमीम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे की सीमा तक मौका स्थिति अनुसार की जावे। प्रकरण संख्या 86/2021 में हुए निर्णय से भी दोनो पक्ष पांबद रहेंगे।

वाद में डिकी आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22/03/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested